

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुं० 10/18 तारीख 23-1-18

उतवान - मोर शुकटसिंह बनाम जोफेद्रुसिंह हरनाथ गेठागीस

याका वाकत इस्तकरारहक तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामा नारायण शर्मा एगोकेट ने दावा वाकत तकास्मा, घोषणा श्लोतकारी, स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53 88, 88 के अन्तर्गत पेश किया। जमावन्दी का अवलोकन किया जाव। याका दर्ज रजिस्टर कर प्रीतवादीपणे को जरिये समस्त सेत जव कर दिनांक 23/1/18 को पेश है।

  
जिदीश आर्य  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम

90-116  
8-1-18

23-1-18

वादी वकील उप० प्रतिवादी नं० 20, 21 की ओर से श्री रमेश चंद खैरी व रंजय गहलोत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं० 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 27 के समस्त विधित तारीख हो चुके हैं। अखजूद सूचना उप० नही है उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं० 1, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24 के समस्त ऊपर तारीख प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी नं० 14 के फौत हो जाने की धिरे प्राप्त हुई है। वादी वकील सामन ललवाना, द. कायमाक्रम मयकोरिस पेश करें। दि० 27-2-18 को पेश है।

27-2-18

वकालत उप० प्रतिवादी नं० 1, 19 की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत Adw. ने वकालतनामा पेश किया। वादी वकील प्रतिवादी नं० 8, 15, 16, 17, 18, 24 के समस्त तारखाना एवं द. कायमाक्रम प्रतिवादी नं० 14 पेश करें। दि० 27-3-18 को पेश है।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम उपखण्ड

दिनांक	फर्द अहकाम
9/5/25	पनावकी पेश हुई। वकील उमरचण्ड कलवाण उपस्थित। वादी वकील को वादी के फर्द का मुकाम डाल कर सुप जलियादी नं० 24 के लिये नोडिस पेश करने की डिप्यट डी गद्दी। वकील लक्ष्मी दिनांक 11.6.25 को पेश हो।
11.6.25	पनावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। अतनुसार दिनांक 15/7/25 को पेश हो।
15/7/25	पनावकी पेश हुई। वकील उमरचण्ड कलवाण उपस्थित। वादी वकील को वादी के फर्द का मुकाम नोडिस पेश करने की डिप्यट डी गद्दी। सुप जलियादी नं० 24 के लिये नोडिस पेश करने की डिप्यट डी गद्दी। वकील लक्ष्मी दिनांक 26/8/25 को पेश हो।
26/8/25	पनावकी पेश हुई। वकील उमरचण्ड कलवाण उपस्थित नहीं। वार 2 भावाजा डिप्यट डी गद्दी। इसके वावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुई। इसके वादी का डाय वावट रखा है। नोडिस वादी सुप वादी वकील की छानस पेश की है। छानस डी गद्दी में खारिज किया जा रहा है। पनावकी पेशाल शुमार के नम्बर के कम कर डारिब डारट हो।

उप  
टोडाभीम

उप जिला कलेक्टर  
(टोडाभीम)

उप जिला कलेक्टर  
(टोडाभीम)